न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी : रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 120/2019

वादीगण –

1. नवीन नगवाड़िया गौद पुत्र मदनलाल
   जातियान–जाट, निवासीगण–रूपाथल, तहसील–जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. मदनलाल पुत्र लादूराम उम्र 60 साल, जाति–जाट
2. रामेश्वर पुत्र शैतानराम उम्र 50 साल जाति–जाट
   निवासीगण–रूपाथल तहसील–जायल
3. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री मुन्नीलाल कड़वासरा, श्री जीयाराम गोदारा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री शिवकुमार पाराशर, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 2
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

निर्णय

दिनांक : 09/03/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वकील वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा रूपाथल, तहसील जायल में खेत खसरा नं. 373, 432, 457, 370 के रूप में रहती चली आई है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है। मुतदाविया

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

09/03/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) 1
जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner

खेतायों की भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा मौखिक बंटवारा वाद पत्र में दर्शाये पैरा संख्या 2 के अनुसार कर लिया है।

अतः वाद पत्र को माफिक इस्तदुआ अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री आदेश जारी करने का निवेदन किया तथा। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर तहसीलदार जायल जारी करने की इस्तदुआ वादी द्वारा अपने वाद में की।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री शिवकुमार पाराशर ने इकबालिय जवाब दावा पेश किया। वाद के विचाराधीन रहते वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सी. पी.सी. पेश किया। जिस पर वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की अनापत्ति पर स्वीकार किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 द्वारा प्रकरण के संबंध में इकबालिया जवाब दावा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 3 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह मदनलाल, नवीन के पेश के पेश हुये, जिनमें से मदनलाल के शपथ पत्र पर बयान कलमबद किये गये। वकील वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी ग्राम रूपाथल, तहसील–जायल सम्वत् 2069–2072 खाता संख्या 225 प्रदर्श–1, खाता संख्या 224 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सम्वत् 2024–2028 प्रदर्श–3 है। अन्ततः आर.ए.जी.बी. कुचेरा द्वारा जारी रहन मुक्त प्रमाण की प्रति पेश की जो सामिल पत्रावली है। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 2 द्वारा पत्रावली में जरिये इकबालिया जवाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वादपत्र को माफीक वाद एवं इकबालिया जवाब दावा में वर्णित पैराज अनुसार मौजा रूपाथल तहसील–जायल के खसरा नं. 370 रकबा 40.16 बीघा में से 9.16 बीघा हिस्सा पश्चिमी से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के सहखातेदारी रखा गया है। इसी प्रकार खसरा नं. 373, 432, 457 के खेताय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के सहखातेदारी का रखा है तथा खसरा नं. 370 रकबा 40.16 बीघा में से हिस्सा पश्चिमी 9.16 बीघा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बराबर सहखातेदार घोषित किया जावे। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 2 के हक बंट की भूमि का आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक इकबालिया जवाब दावा व वाद को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। चूंकि वादी ने वादपत्र में बंटवारा एवं खातेदारी घोषणा की इस्दुआ की है। वादी अपने पिता के जीवित रहते पुश्तैनी भूमि में से अपने हिस्से अनुसार बंट करवा सकता है तथा सहखातेदार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो सकता है। वादपत्र में प्रस्तुत इकबालिया जवाब में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हस्तगत प्रकरण में वादी मौजा रूपाथल के वादग्रस्त खेतायों में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से व खातेदारी की भूमि में सहखातेदार होना चाहता है न की मुतदाविया खेतायों की भूमि का बंटवारा चाहा है। वादी के वादपत्र का स्वीकार किये जाने में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपनी सहमति व्यक्त की है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

अतः हम वादी के वाद को गोद पिता मदनलाल के साथ उसके ग्राम रूपाथल तहसील जायल में स्थित हक बंट खातेदारी की भूमि में अर्थात (खसरा नं. 373, 432, 457 एवं खसरा नं. 370 रकबा 40.16 बीघा में से 9.16 बीघा पश्चिमी भाग) सहखातेदार घोषित किया जाना तथा वाद को अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी नवीन नगवाड़िया को प्रतिवादी संख्या 1 मदनलाल के हक बंट, कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि ग्राम रूपाथल तहसील जायल के खसरा नं. 373, 432, 457 की सम्पूर्ण भूमि में एवं खसरा नं. 370 रकबा 40.16 बीघा की भूमि में से 9.16 बीघा (पश्चिमी भाग) में सहखातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर जायल (एस.डी.ओ.)

09/03/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, नागौर

Scanned with CamScanner

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 120/2019

वादी –
1. नवीन नगवाड़िया गौद पुत्र मदनलाल
जातियान–जाट, निवासीगण–रूपाथल, तहसील–जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –
1. मदनलाल पुत्र लादूराम उम्र 60 साल, जाति–जाट
2. रामेश्वर पुत्र शैतानराम उम्र 50 साल जाति–जाट निवासीगण–रूपाथल तहसील–जायल
3. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–
1. श्री मुन्नीलाल कड़वासरा, श्री जीयाराम गोदारा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री शिवकुमार पाराशर, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 2
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मुन्नीलाल कड़वासरा, जीयाराम गोदारा अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 हाजरी श्री शिवकुमार पाराशर व प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

1. वादी नवीन नगवाड़िया को प्रतिवादी संख्या 1 मदनलाल के हक बंट, कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि ग्राम रूपाथल तहसील जायल के खसरा नं. 373, 432, 457 की सम्पूर्ण भूमि में एवं खसरा नं. 370 रकबा 40.16 बीघा की भूमि में से 9.16 बीघा (पश्चिमी भाग) में सहखातेदार घोषित किया जाता है।

07/03/2024

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी जायल(नागौर)

सहायक कलेक्टर जायल (एस.डी.ओ.)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 120 / 2019
नवीन बनाम मदनलाल वगैरह

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09/03/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

09/03/2021

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल(नागौर)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner